

जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

क्रमांक स्था.दो/बी/246/2020/69

दिनांक 23/01/2020

प्रति,

1. संचालक, अनुसंधान/विस्तार सेवायें/प्रदोत्र/शिक्षण, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
2. अधिष्ठाता, कृषि संकाय, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
3. लेखानियंत्रक, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
5. अधिष्ठाता, कृषि/कृषि अथि महाविद्यालय, जबलपुर/रीवा/टीकमगढ़/अंजवसौदा/वारासिवनी/पवारखेड़ा/रेहली/खुरई/छिन्दवाड़ा।
6. प्रभारी जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र (कृषि), ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
7. विभागाध्यक्ष,....., कृषि महाविद्यालय, जबलपुर।
8. समस्त सह- संचालक अनुसंधान, आंचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र।
9. प्रमुख वैज्ञानिक, उद्यानिकी व्यवसायिक शिक्षण संस्थान, रनगुआं, गढ़ाकोटा, सागर।
10. समस्त, प्रमुख वैज्ञानिक एवं केन्द्र प्रभारी, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र।
11. समस्त, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र।
12. कार्यपालन यंत्री/सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी/सहायक ग्रंथपाल/प्रभारी प्रक्षेत्र, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
13. समस्त आहरण एवं सवितरण अधिकारी, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
14. सहायक कुलसचिव सामान्य/स्थापना/विधि, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
15. माननीय कुलपतिजी/कुलसचिव के निज सचिव, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
16. समस्त अनुभाग अधिकारी, ज.ने.कृ.वि.वि., जबलपुर।
17. नोडल ऑफिसर, विश्वविद्यालय वेबसाइट सेल, (कार्यालय उपकरण विनियोग विभाग) ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।

विषय :- समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की अचल सम्पत्ति की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।
संदर्भ :- शासन का पत्र क्रमांक सी-5-1/2010/3/एक भोपाल दिनांक 29 दिसम्बर 2010

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की अचल सम्पत्ति की जानकारी प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी के पूर्व उपलब्ध कराने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः आपके अधीनस्थ कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की अचल सम्पत्ति की जानकारी संलग्न प्रपत्रानुसार नोडल ऑफिसर, विश्वविद्यालय वेबसाइट सेल, (कार्यालय उपकरण विनियोग विभाग) ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर से संपर्क कर दिनांक 31.01.2020 तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.jnkvv.org पर अपलोड कराकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

संलग्न :- प्रपत्र

Ilc website
vc
28.01.2020

[Signature]
कुलसचिव
22/1/2020

फार्म
प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

(1) अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो (2) वर्तमान धारित पद.....
(3) वर्तमान वेतन..... अगली वेतन वृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरा	वर्तमान मूल्य	यदि चयन के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	गृह तथा अन्य भवन	4	5	6	7	8

* जहाँ लागू न हो काट दीजिये।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी :- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 19(3) के अधीन प्रधान श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार, महीने की अवधि के परचात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें। और उसमें वह उनके स्वागित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे वियसम में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्योरे दें।

हरतक्षर.....
नाम.....
पद.....
कार्यालय/विभाग का नाम.....